

परिषद् की वाराणसी जोन के अन्तर्गत
वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर,
गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा, नगरों की सम्पत्तियों
का

आवंटन/नीलामी तिथि:
दिनांक: 19.06.2013
समय: प्रातः 11:00 बजे

आवंटन/नीलामी

स्थल:
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
जवाहर नगर, वाराणसी

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

भरतपुरी योजना, गोण्डा

भवनों/भूखण्डों का प्रकार	सं०	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर प्र० व०मी०/अनु०मू० फ्री-होल्ड सहित (रु० लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
आ० भू०-पी-2055 सामान्य	01	63.17	6720.00	0.22
आ० भू०-पी-1670 सामान्य	01	82.50	6720.00	0.28

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर

आ० भू०-डी-10	01	232.00	9520.00	1.11
आ० भू०-डी-2/1	01	255.00	9520.00	1.22

पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी

आ०भू०-4ए/32	01	205.00	10080.00	1.04
MIG भवन सं०-3ए/58के बगल में अति०भूमि	01	24.31	11088.00	0.14

आशफाक उल्लाह नगर योजना, फैजाबाद

आ०भू०-पी-24 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	37.07	7168.00	0.14
--------------------------------------	----	-------	---------	------

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

कबीर नगर योजना, वाराणसी

दुकान-एस०-1/11	01	7.17	12.45	1.25
----------------	----	------	-------	------

रूस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर

व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-1	01	62.33	19040.00	1.19
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-2	01	66.64	19040.00	1.27
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-3	01	71.74	19040.00	1.37
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-4	01	80.89	19040.00	1.55

हरपुर योजना, बलिया

व्यवसायिक भूखण्ड-2बी/सी०पी०-2	01	92.40	19040.00	1.76
-------------------------------	----	-------	----------	------

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी

भवनों/भूखण्डों का प्रकार	सं०	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर प्र०व०मी०/अनु०मू० फ्री-होल्ड सहित (रु० लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
कम्युनिटी फैंसिलिटी-3ए-2 (लीज पर)	01	3053.68	16632.00	50.79
कम्युनिटी सेक्टर-1 (लीज पर)	01	1031.19	16632.00	17.16
कम्युनिटी फैंसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	16632.00	24.62

शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	सं०	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर / अनु०मू० फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी०)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज	अधि० उचाई (मी० में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
दु०-LGF एस-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633 (प्रति)	7.85	-	-	-	0.79
दु०-यू०जी०एफ० एस-8,9	02	9.633 (प्रति)	5.12	-	-	-	0.51
दुकान-एल०जी०एफ० एस-7	01	9.922	5.28	-	-	-	0.53
दु०-एल०जी०एफ० एस-1,6,7,12	04	9.922	8.09	-	-	-	0.81

अवधपुरी योजना, फैजाबाद

व्यव० भूखण्ड-सी०पी०-6ए,7	02	368.50(प्रति)	9408.00	1.5	50	15 मी०	3.47
व्यव० भूखण्ड-सी०पी०-6बी	01	243.81	9408.00	1.5	50	15 मी०	2.30

झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद

दुकान संख्या-एस-2/33	01	13.59	5.52	-	-	-	0.55
दुकान संख्या-एस-2/11	01	16.56	10.10	-	-	-	1.10
दुकान संख्या-एस-2/10	01	14.32	8.75	-	-	-	0.88

डोमरौली योजना, मिर्जापुर

व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	14560.00	1.5	50	15 मी०	2.54
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	14560.00	1.5	50	15 मी०	2.10
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	14560.00	1.5	50	15 मी०	4.22
दुकान संख्या-एस-2,3	02	9.39 (प्रति)	4.18	-	-	-	0.42
दुकान संख्या-एस-6	01	15.15	6.72	-	-	-	0.68
दुकान संख्या-एस-7	01	18.71	8.28	-	-	-	0.83

शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर

व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-1	01	81.00	22400.00	-	-	-	1.82
---------------------------	----	-------	----------	---	---	---	------

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप : (1). योजना/शहर का नाम (2). भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल (3). आवेदक का नाम (4). पिता/पति का नाम (5). पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता (6). दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी (7). आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें) (8). संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक (9). निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि (10). भुगतान का विकल्प, आवेदक के हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....

सील बिल का प्रारूप : (1). योजना/शहर का नाम (2). सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3). आरक्षित मूल्य (4). ऑफर मूल्य/दर (जिसपर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) (5). टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु० (6). बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक (7). नाम (8). पिता/पति का नाम (9). आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) (10). पत्र व्यवहार का पता (11). दूरभाष/मोबाइल नं०, ई-मेल आईडी, हस्ताक्षर (12) दिनांक, स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता.....

घोषणा पत्र (आवेदन / सील बिल एवं दोनों के साथ आवश्यक): (1). मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ, "जहाँ है, जैसी है" के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ। (2). मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित.....शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन / भूखण्ड नहीं है। (3). मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2012-2013 की समस्त स्रोतों से आय रु० से अधिक नहीं है। (4). मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि..... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर व पता.....

नियम व शर्तें: (1). आवेदन/सील बिल फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु० 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2). सील बिल/ऑफर अंकित करते हुए रु० 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिल फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। (3). आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिल सम्बन्धित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, ऑफिस कम शांतिपिंग काम्प्लेक्स, जवाहर नगर (भेलूपुर) वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु- स०प्र० कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु- स०प्र० कार्यालय सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद हेतु- स०प्र० कार्यालय, 50/6 अलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु- स०प्र० कार्यालय, अंगूरीबाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। (4). सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5). आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन/शासनादेश/परिषद् के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6). आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2013 तथा सील बिल नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5:00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7). अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8). सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है, जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9). सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10). आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद् द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। (11). एक आवेदक एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अंतिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (12). सील बिल देते समय लिफाफे के ऊपर योजना/सम्पत्तियों की संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। (13). सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स०प्र० कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद् की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (14). कार्नेर की सम्पत्तियों पर परिषद् नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। (15). समस्त प्रकरणों में परिषद् के अध्यावधि नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। (16). आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।

आवास आयुक्त

परिषद् ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए
जन सुविधा केन्द्र
 की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य
 दिवस में प्रातः 10:00 बजे से
 सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है

डायल करें
1800-180-5333 (टोल-फ्री)
0522-2236803



सेवोत्तम अनुवर्ती संस्था
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
 website: <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@sancharnet.in